

प्रायालय उप जिला कलेक्टर टोडाभीम

फर्द अहकाम


मुंज 113/17 तारीख 5-9-17

उजवान - अमरसिंह बजाज मजदूरी नमै 0
करा अजीज

दावा बाबत तकास्मा एवं स्थायी निषेधाज्ञा


वादी की ओर से श्री राजकुमार सिंह व संदीप तिवारी एड-
वैकट ने दावा बाबत तकास्मा व स्थायी निषेधाज्ञा पेश
किया। प्रस्तुत शपथ पत्र व जमा बन्दी का अवलोकन किया
था। दावा दर्ज रजिस्टर कर प्रतिवादी गणों को जारिये
अमन से तल व किया जाये। पत्रावली दिनांक 18-9-17 को
श हो।

4832-55
5-9-17


जगदीश आर्य
उपजिला कलेक्टर
टोडाभीम

18-9-17

वादी वकील उप. / प्रतिवादी नं. 4, 7, 8, 9, 19, 20, 21,
22 की ओर से श्री सुरेश चन्द्र शर्मा A.W. ने भीमो
पेश किया। प्रतिवादी नं. 1, 2, 3, 5, 11, 18, 23 के लक्षण
विधिवत लामील हो चुके थे किन्तु उनकी ओर से कोर्ट
में उपरोक्त नहीं थे। उनके विरुद्ध एक पक्षीय कार्यवाही
की जाती है पेश कते वकालतनामा व जम्मा दि०
25-10-17 को पेश हो।


जगदीश आर्य
उपजिला कलेक्टर
टोडाभीम

25-10-17

वादी वकील उपस्थित। श्रीमति विद्यादेवी, सुदर्शन
सुमन सिंह, रणवीर सिंह की ओर से श्री रामशरीरी शुक्ला
A.W. ने वकालतनामा, दस्तवेज, द. 01 R/10 CP पेश की।
द. 01 की नकल दिलाई। वादी वकील ने सीधे कहस बरने
का कपन किया। शेष कहस द. 01 दि० 31-10-17 को पेश हो।

दिनांक
22.2.19

पत्रावली पेश हुई। वाद की ओर ले जाया गया
रखा गया है। गतावली गतावली 28.3.19
को पेश हो।

29.3.19

वकुलाय उपस्थित/पीठसभ अधिवसी चुनाव कार्य से
करोली पेश है। अतः पत्रावली गतावली
दिनांक 16.5.19 को पेश हो।

16.5.19

वकुलाय उप० संशोधित वादपत्र पेश कले पुनः
समय-वादा। सुन कान्पायदित में एक अतिम
मैत्रा दिया जाता है पत्रावली दिनांक 28.5.19 को
पेश हो।

29.5.19

पत्रावली पेश हुई। वादी वकील उपस्थित नहीं
हैं। कई बार आवाज दिलवाई गई। फिर भी
वादी वकील एवं वादी के उपस्थित नहीं होने
से यह दावा अदम हाजिरी एवं अदम पैखी
में रवारिज किया जाता है। पत्रावली फैसल
शुमार होकर नम्बर से कम होकर दारिवाल
दफतर हो।

अ जिंसा कलम
येदामीम (करोली)